

सेवा में

अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग,
कार्यवाह विभाग हरियाणा

4/7/16

ADJ-III
S. J. G.

B
4/7/16
7-4

1. महानिदेशक,
उपचलर शिक्षा विभाग हरियाणा
शिक्षा सदन, लैक्ट-5 पंचसूला।
2. महानिदेशक,
सघनीय शिक्षा विभाग,
हरियाणा, पंचसूला।
3. महानिदेशक,
निदेशालय लोकेश्वरी शिक्षा हरियाणा,
शिक्षा सदन, लैक्ट-5 पंचसूला।
4. महानिदेशक,
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
लैक्ट-17, चण्डीगढ़।
5. निदेशक,
विश्वविद्यालय शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग,
पर्यटन विभाग बंग-2 पंचसूला।
6. सभी जिला कल्याण अधिकारी,
हरियाणा राज्य में।

दिनांक: 15/07/16
दिनांक: 16/7/16

विषय-

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (एचओसीओ) के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की राशि स्वीकृत करने बारे।

CP-137

उपरोक्त विषय पर महा निदेशालय को पत्र संख्या 13951-76 दिनांक 10/07/2015 के संदर्भ में।

उक्त पत्र द्वारा जारी शिवालयों को विष्णु नं०-9 जिसके अन्तर्गत किसी भी संस्थान में कोलंबाइड बसे गई धूल सीटी में से 40 प्रतिशत छात्र पहले आठो महसुले पाओ के आधार पर छात्रवृत्ति के पास होंगे। इससे अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जायेगी।

सरकार द्वारा पुनः निर्णय लिया गया है कि सभी सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रदान की जाये वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 40 प्रतिशत की शर्त को हटाया जा रहा है।

अतः आचरने अनुरोध है कि सरकारी संस्थानों में वापिस सभी योग्य अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करें।

सहायक निदेशक
उप-निदेशक (प्रशि०)

श्रेणी: निदेशक, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग
कार्यवाह विभाग हरियाणा

निदेशालय, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ०क० T-4/PMS/SC/2015-16/ 2870

दिनांक: 11/7/16

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु उक्त पत्र अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें:-

1. संयुक्त निदेशक (योजना)।
2. संयुक्त निदेशक एवं प्रधानाचार्य, राजकीय आई०टी०ओ०टी०, रोहतक।
3. सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्वार्ज/वर्ग अनुदेशक इन्वार्ज (महिला), राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला)।
4. सभी जिला स्तर के प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपने-2 जिले में स्थित सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उक्त पत्र अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करवाएँ।
5. उप-निदेशक (प्रशिक्षण-IV)।
6. नोडल अधिकारी वेबसाइट (मुजफ्फर) वेबसाइट पर डालने हेतु।
7. नोडल अधिकारी वेबसाइट (मुजफ्फर) वेबसाइट पर डालने हेतु।